

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शिवनाथ प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर के विरुद्ध न्यायालय जैसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण मामलों में लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बरतने, संतोषजनक कारणपृच्छा नहीं समर्पित करने, 7EC Act के सुसंगत नियम का बिना उल्लेख किये खाद्य तेल को जब्त किया जाना संबंधित गंभीर आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक- 03 दिनांक- 04.01.2018 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में श्री प्रसाद के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

2. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु उप निदेशक, खाद्य, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप पत्र प्रपत्र- 'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, नियुक्त किया जाता है।

5. आरोपी पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है, कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के संदर्भ में अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष अवश्य समर्पित कर देंगे।

Sheer
26/4/2018
(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापंक-प्र08गो0आ0(मुंगेर)-03/2018

2027

/खाद्य,पटना/दिनांक 26.04.2018

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, मुंगेर/ उप निदेशक, खाद्य, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर -सह-संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की दो प्रति के साथ) / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर-सह-साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की एक प्रति के साथ)/अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री शिवनाथ प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sheer
26/4/2018

सरकार के अपर सचिव।